न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

दावा संख्या – 45/2016

1. श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री मातादीन टीबड़ा जाति महाजन निवासी वार्ड न. 19 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू

– वादिया

बनाम

1. बजरंगदास चेला महाबक्सदास कौम स्वामी निवासी राणीसती चौराहा के पास, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू
2. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) झुंझुनू तहसील झुंझुनू

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री इकरार अली – वादिया की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राज्य सरकार की ओर से

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक: 26.02.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि गत खसरा न. 119 मी. रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा न. 284/3756 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा न. 351 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा न. 252 रकबा 3.30 हैक्टर वाके राजस्व ग्राम झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू अवस्थित है। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार महाबक्सदास चेला खेतदास स्वामी निवासी झुंझुनू थें। जिन्होने उक्त भूमि में से 3 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता भूमि निम्न चतुर्सीमा की रामनिरंजन, चन्द्रकान्त पुत्र विश्वनाथ महाजन टीबड़ा तथा बुद्विप्रकाश पुत्र भगवती प्रसाद महाजन निवासी टेकडीवाल निवासीगण झुंझुनू को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 21.07.1990 विक्रय कर दी तथा विक्रय शुदा भूमि का कब्जा केतागण को सुपुर्द कर दिया। चतुर्सीमा–उत्तर में जमीन खरीदारान रामनिरंजन वगैरह, दक्षिण में – खेत घोसीयों का, पूर्व में सडक – जो लालपुर को जाती है, पश्चिम में – खेत कुम्हारों का। उक्त खरीदशुदा भूमि 3 बीघा 10 बिस्वा के सहखातेदारान केता बुद्विप्रकाश ने उक्त खरीदशुदा चतुर्सीमा की भूमि में से लालपुर जाने वाली सडक से लगती हुई 0.17 हैक्टर (यानि 2006.66 वर्गगज) भूमि विनोद कुमार पुत्र बनवारीलाल महाजन (खण्डेलिया) निवासी झुंझुनू को दिनांक 03.09.1990 को विक्रय कर दी तथा विक्रय शुदा भूमि का कब्जा भौतिक रूप से खरीददार को सुपुर्द कर दिया। जिसकी बाबत लिखावट विक्रय 03.09.1990 को निष्पादित की गई। उक्त 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 0.17 हैक्टर (2006.66 वर्गगज) के खरीददार विनोद कुमार ने अपनी खरीदशुदा भूमि का विक्रय सन् 1998 में वादिया श्रीमती सरिता देवी को कर दिया था तथा उक्त भूमि का भौतिक कब्जा वादिया को सौप दिया था। तब से वादिया भूमि वर्तमान खसरा न. 284/3756 में से 0.17 हैक्टर (2006.66 वर्गगज) भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार चली आ रही है। वादिया ने अपनी उक्त भूमि की सुरक्षा व डिमार्केशन हेतु पुख्ता छोटी दीवार भी मौके पर बना रखी है। इस संबंध में वादिया के हक में उक्त विक्रय पत्र के बाबत विनोद कुमार द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

विक्रय पत्र निष्पादित किया हुआ है। यह कि उक्त भूमि में से 3 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता हिस्से के खरीददारान रामनिरंजन वगैरह ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 21.07.1990 के आधार पर अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवाने से पूर्व ही उक्त भूमि को विक्रय कर दिया। इस कारण कालान्तर में उक्त भूमि का नामान्तरकरण अन्य खातेदारान के हक में भी तस्दीक नही हो सका। इस कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि 3 बीघा 10 बिस्वा भी महाबक्शदास स्वामी के देहांत के पश्चात् उनके चेले बजरंगदास के नाम सहवन से चली आ रही है। जबकि बजरंगदास का उक्त भूमि पर कोई भौतिक कब्जा नही है। वादिया वादग्रस्त भूमि में अपनी खरीदशुदा हिस्से 0.17 हैक्टर भूमि पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज चली आ रही है। वादिया ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने हक में दर्ज करवाने हेतु दिनांक 16.02.2016 को हल्का पटवारी व तहसीलदार से सम्पर्क किया तो इन्होनें माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की सलाह दी है। जो श्रीमान जी के न्यायालय क्षेत्राधिकार में है। अतः वाद वादिया पेशकर निवेदन है कि वाद बहक वादिया डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा न. 284/3756 रकबा 0.75 हैक्टर वाके राजस्व ग्राम झुंझुनू में 0.17 हैक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार उद्घोषित की जावें। तहसीलदार झुंझुनू को इस बाबत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित फरमाया जावें। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तामील जरिये अखबार दिनांक 05.12.2018 को छाया करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 को निर्धारित तिथि को बार-बार रूक-रूक कर आवाज लगवाई गई। परन्तु प्रतिवादी स्वयं व उनकी ओर से न्यायालय समाप्ति समय तक असालतन/वकालतन कोई उपस्थित नही हुआ। ऐसी स्थिति में तामील अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी को समुचित अवसर के पश्चात् उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाने पर वादिया ने अपने स्वयं का शपथ-पत्र पेश किया। जो शामिल किया जाकर प्रकरण में बहस वकील पक्षकारान सुनी जाकर, पत्रावली आदेश में ली जाकर वाद में वर्णित तथ्यों व वादिया द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड प्रर्दश 1 लगायत 7 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जिससे वाद वादिया पूर्णतयाः सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कस्बा झुंझुनू में स्थित भूमि खसरा न. 284/3756 रकबा 0.75 हैक्टर में से 0.17 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष अकंन बदस्तूर। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। खर्चा वादिया अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/19

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

7

मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती अलका बिश्नोई (आर0ए0एस0)

उनवान

श्रीमती सरिता देवी बनाम बजरंगदास चेला महाबक्सदास वगैरह

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मु.नं. 45 / 2016 निर्णय दिनांकः 26.02.2019

वकील वादीया उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 26.02.2019 को श्रीमती अल्का बिश्नोई, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि कस्बा झुंझुनू में स्थित भूमि खसरा न. 284 / 3756 रकबा 0.75 हैक्टर में से 0.17 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है कि शेष अकंन बदस्तूर। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करें।

यह डिक्री आज दिनांक 26.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

वादी के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	0
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबुत		मेहनतनामा वकील पर	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिशनर	
फीस कमिशनर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
कुल	4	कुल	0

26/2/19

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू